शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर

अंशकालीन शिक्षण व्यवस्था हेतु विज्ञापन

सत्र 2026–27

विज्ञापन क्रमांक / 9402 / 26 सागर, दिनांक 06.11.2026

शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिये महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न कराने की दृष्टि से विभागवार पैनल तैयार करने हेतु वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, आवेदक अभ्यर्थियों की योग्यता मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार निर्धारित योग्यता और पात्रता मानदंडों (पी.एच.डी. / नेट / स्लेट एवं न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि) प्राप्त होना अनिवार्य है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 14.11.2026 सायं 05 बजे तक है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन के साथ समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां महाविद्यालय के कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अथवा महाविद्यालय के पते पर स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये जा सकते है। इच्छुक एवं योग्यताधारी आवेदक विज्ञापन से संबंधित आवेदन प्रपत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.ggpgcs.com पर देखें। अध्यापन हेतु जनभागीदारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार न्यूनतम 800 रूपये प्रति कार्य दिवस एवं अधिकतम 20000 / – रूपये प्रतिमाह का मानदेय देय होगा। विषयवार विज्ञापित पदों की संख्या में अध्यापन कार्य की आवश्यकता अनुसार घटाने, बढाने तथा विलोपित करने अथवा शैक्षणिक अवधि के मध्य में सेवा समाप्ति का संपूर्ण अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा। संबंधित विषयों में जिनमें रिक्तियां हैं उनका विवरण निम्नानुसार है।

स.क्र.	विषय का नाम	अंशकालिक आवश्यकता	क्रेडिट
1	इतिहास	01	06
2	प्राणीशास्त्र	01	06

नोट :–

(1) अध्यापन कार्य दिवस प्रश्न पत्र में दर्शाये गये क्रेडिट के अनुसार होंगे। उदाहरण स्वरूप 2 क्रेडिट का प्रश्नपत्र 30 कालखण्डों में समाप्त करना होगा। विषय की सी.सी.ई. परीक्षा भी अभ्यर्थी को कराना है एवं उसका मूल्यांकन कर अंक विभागाध्यक्ष के पास जमा करना होगा।

(2) आवेदन पत्र वाले लिफाफे पर बड़े अक्षरों में उस विषय एवं महाविद्यालय का नाम प्रदर्शित होना चाहिये। आवेदन के साथ समस्त स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज महाविद्यालय में उपस्थित होकर जमा करें अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 14.11.2026 कार्यालयीन समय सायं 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये।

(3) ये व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी एवं अंशकालिक मात्र है। किसी भी व्यक्ति का आमंत्रण बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकेगा। अंशकालिक व्यक्ति किसी भी रूप में लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।

(4) अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन या अधूरे आवेदन या ई–मेल द्वारा प्रेषित आवेदन या जमा न किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(5) पैनल पूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए तैयार किया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरांत आगे की कार्यवाही करना या नहीं करना महाविद्यालय का अधिकार होगा और इसके लिए किसी भी प्रकार का पत्राचार/विवाद स्वीकार नहीं होगा।

(6) अभ्यर्थी के विरूद्ध पुलिस अथवा न्यायालय में कोई भी प्रकरण दर्ज अथवा लंबित नहीं होना चाहिये। इस आशय का शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)